

In the court of Principal Judge, Family Court, Aurangabad

Maintenance Case No. 310/2025

.....
बनाम्
.....

19.03.2026

आवेदिका की ओर से वाद वापस लेने हेतु दिनांक 17.03.2026 को एक आवेदन दिया गया है। आवेदिका ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता केंद्र, औरंगाबाद में समझौता हो गया है, जिसके अनुसार दोनों पक्ष पति-पत्नी के रूप में अब शांतिपूर्वक साथ-साथ रहेंगे। अब मैं इस केस को आगे नहीं लड़ना चाहती हूँ। अतः इस वाद को वाद वापसी के आधार पर निष्पादित किया जाये।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अतः वाद वापस लेने के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, औरंगाबाद।